पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2079–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–4–2013 पारित द्वारा तहसीलदार बड़वानी जिला बडवानी प्रकरण कमांक 7/अ–12/2012–13

संतोष पिता श्री दित्या कुलमी
निवासी बोरलाय तहसील एवं जिला
बड़वानी, म0प्र0 -----आवेदक

विरूद्ध

बाबू पिता नंदया जाति मानकर
निवासी बोरलाय तहसील एवं जिला
बड़वानी म0प्र0 -----अनावेदक

- - - - - - -

श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री कैलाश पाटीदार, अभिभाषक, अनावेदक

- - - - - - -

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 3 दिसम्बर 2014)

- - - - -

आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बड़वानी जिला बडवानी प्रकरण कमांक 7/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 5–4–2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

...दी कास्तक... " प्रकरण में "

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर बडवानी के समक्ष जनसुनवाई में दिनांक 20–11–2012 को उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 359/2 रकबा 0.281 हेक्टेयर के सीमांकन कराये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख बड़वानी को उक्त आवेदन जांच कर निराकरण हेतु भेजा गया। अधीक्षक भू–अभिलेख बडवानी द्वारा पत्र दिनांक 27–11–2012 से प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार बडवानी को निर्देश दिये गये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ–12/2012–13 पंजीबद्ध कर अपने आदेश दिनांक 5–4–2013 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न चालान की फोटोप्रति से स्पष्ट है कि अनावेदक बाबू द्वारा दिनांक 31–12–2011 को प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु शुल्क जमा किया गया, परन्तु सीमांकन नहीं किये जाने से अनावेदक द्वारा कलेक्टर बडवानी के समक्ष जनसुनवाई में दिनांक 20–11–2012 को सीमांकन कराये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क इस स्तर तक मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सीमांकन हेतु किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं था, क्योंकि सीमांकन हेतु कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को निर्देश दिये गये थे, जिसके पालन में अनावेदक के आवेदन पर सीमांकन की कार्यवाही की गई है। आवेदक का यह तर्क कि अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न खसरों से स्पष्ट है कि अनावेदक ही प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होकर कब्जेदार के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। जहां तक आवेदक अभिभाषक के सीमांकन की कार्यवाही दोषपूर्ण किये जाने का प्रश्न है प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक जो सरहदी कास्तकार होने

से प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था, को किसी प्रकार की कोई सूचना जारी नहीं की गई है। तहसील न्यायालय में संलग्न पंचनामे पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं हैं। संबंधित को सूचनापत्र भेजने का भी कोई प्रमाण नस्ती में नहीं है। इससे प्रकट होता है कि हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गई। संहिता की धारा 129 में स्पष्ट प्रावधानित है कि सीमांकन के पूर्व हितबद्ध एवं सरहदी कास्ताकरों को सूचना दी जाये एवं उनकी उपस्थिति में ही सीमांकन की कार्यवाही संपादित की जाये। इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा सीमांकन की कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं की गई है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 5--4--2013 विधिसंगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बडवानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5--4--2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विधिवत प्रकिया अपनाकर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के उपरांत हितबद्ध पक्षों की उपस्थिति में पुनः सीमांकन संपादित करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर

सर्वे नंबर